(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1436/पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.2015 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 03/2013-14/स्वमेव निगरानी.

श्री मुन्नूखां पुत्र श्री गुलाब खां मृतक वारिसान

1. मु. चांदवी बेवा मुन्नू खां
2. चांद खां पुत्र मुन्नू खां
3. रियाशत खां पुत्र मुन्नू खां
4. राजू खां पुत्र मुन्नू खां

निवासी ग्राम पनिहार तहसील

व जिला ग्वालियर, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....अनावेदक

श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 31.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पनिहार की भूमि सर्वे क्रमांक 907 मिन जिसका रकबा 62.645 हैक्टेयर में से रकबा 0.836 हैक्टेयर भूमि का व्यवस्थापन प्रकरण क्र. 34/2001-02/अ-19 से दिनांक 21.03.2001 को आवेदिका क्र. 1 के पति एवं अन्य के पिता मुन्नू खां पुत्र गुलाब खां के नाम हुआ, इसी सर्वे क्रमांक में से अन्य 11 व्यक्तियों के हित में और व्यवस्थापन पृथक-पृथक प्रकरणों से किये गये, कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा अपर तहसीलदार, घाटीगांव द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका क्र. 1 के पति एवं अन्य के पिता मुन्नू

खां के विरूद्ध स्वमेव निगरानी का प्रकरण 12/2011-12/स्वमेव निगरानी दर्ज कर दिनांक 30.06.2012 को प्रकरण में आदेश पारित करते हुए मुन्नू खां के हित में किये गये व्यवस्थापन को निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध मुन्नू खां द्वारा राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्र. 2152/पीबीआर/2012 दर्ज कर दिनांक 30.10.2013 को निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला ग्वालियर की आरे प्रत्यावर्तित किया गया। उक्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 03/2013-14/स्वमेव निगरानी दर्ज किया गया, इसी बीच मुन्नू खां की मृत्यु हो चुकी थी। कलेक्टर द्वारा दिनांक 31.03.2015 को पुन: आदेश पारित करते हुए पूर्व आदेश को ही यथावत रखा गया। कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये आदेश का पालन न करते हुए कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा व्यवस्थापित भूमि की किस्म पहाड़ दर्ज होने के कारण उक्त व्यवस्थापन को गलत माना है।

(2) आवेदिका क्र. 1 के पति एवं अन्य के पिता का संबंध 2035 लगायत 2040 तक खसरे में कब्जे का इन्द्राज है, इसके बाद पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के खसरे में से नाम हटा दिया, परंतु मौके पर मुन्नू खां का ही कब्जा रहा जैसा कि मौखिक साक्ष्य से सिद्ध है।

(3) ग्राम पंचायत द्वारा भी उक्त भूमि को व्यवस्थापित किये जाने में सहमति दी है। यदि उक्त भूमि सार्वजनिक निस्तार की होती तो ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्थापन हेतु सहमति व्यक्त नहीं की गई होती।

(4) कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 237 का अवलोकन नहीं किया और ना ही उस पर कोई विचार किया साथ ही राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) में स्पष्ट रूप से पठारी, फसली भूमि के व्यवस्थापन हेतु उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह भूमि किस्म के हिसाब से कम उपजाऊ होती है, इस कारण अन्य भूमि की अपेक्षा उक्त भूमि का व्यवस्थापन ज्यादा किया जा सकता है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र पर कोई विचार नहीं किया। ऐसी स्थिति में कलेक्टर का आदेश विधि व कानूनी प्रक्रिया के विपरीत होकर राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों के विपरीत है।

(5) उक्त व्यवस्थापित भूमि के अलावा आवेदकगण के परिवार के पास अन्य भूमि नहीं है। आवेदकगण भूमिहीन कृषक है, व्यवस्थापन के बाद आवेदकगण द्वारा काफी श्रम व धन खर्च कर उक्त भूमि को उपजाऊ बना लिया है। लगभग 10 साल के अंतराल के बाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवस्थापित भूमि पर आवेदकगण के पिता मुन्नू खां का कितने वर्ष कब्जा रहा है, इसका उल्लेख अपर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में नहीं किया गया है। इसके अलावा अपर तहसीलदार के आदेश के संलग्न पटवारी प्रतिवेदन में भी कांट-छांट एवं ओवर राईटिंग की गई है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा शासकीय नोहियत पहाड़ की भूमि जिसका व्यवस्थापन किया जा रहा है, वह प्रावधान अनुसार व्यवस्थापन योग्य है अथवा नहीं तथा पहाड़ की भूमि होने से उसका उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए हो सकता है अथवा नहीं, का स्थल निरीक्षण किया जाना आवश्यक था, किंतु ऐसा न कर अपर तहसीलदार द्वारा नोहियत पहाड़ की भूमि का व्यवस्थापन करने में गंभीर भूल की गई है, जिसे निरस्त कर कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा नोहियत पहाड़ की भूमि का अवैधानिक रूप से किया गया व्यवस्थापन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर